

**// मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर //**  
**निविदा आमंत्रण**

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु शील बंद लिफाफे में निम्नलिखित वर्दी सामग्री क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विभागीय पोर्टल <https://mphc.gov.in> पर भी निविदा के नियम एवं शर्तें उपलब्ध हैं।

1.	व्हाइट क्लॉथ वर्दी हेतु (रेमन्ड/सियाराम)	—	565.75 मीटर
2.	खॉकी क्लॉथ वर्दी हेतु (रेमन्ड/सियाराम)	—	276.25 मीटर
3.	ब्ल्यू बूलन क्लॉथ (मोडेला बुलन)	—	312.10 मीटर
4.	लाल साफा क्लॉथ (कार्टन)	—	120 मीटर
5.	ब्ल्यू साड़ी सैट (साड़ी, ब्लाउज, पेटिकोट)	—	22 सैट
6.	कमरबंद एवं सॉफा पट्टी	—	10 सैट
7.	गॉंधी टोपी	—	194 नग
8.	ड्राईवर हेतु व्हाइट P केप	—	21 नग

पंजीकृत संस्थाएं निविदा म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रोटोकॉल अनुभाग में दिनांक 29/09/2022 को दोपहर 01:30 बजे तक सीलड/बंद लिफाफे में वर्दी नमूने सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

**नियम एवं शर्तें :-**

1. निविदा के साथ संबंधित फर्म के क्लॉथ/सामग्री के सेम्पल संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा में फर्म का सम्पर्क नम्बर अवश्य अंकित हो।
2. वर्दी क्लॉथ के कटपीस 3.25 मी0, 6.50 मी, 7.50 मी0 एवं ब्ल्यू बूलन क्लॉथ के 2.20 मी0 एवं 2.50 मी0 के कटपीस प्रदाय किये जाने होंगे।
3. लाल साफा कपड़े के 12 मीटर के कटपीस प्रदाय किये जाने होंगे।
4. वर्दी सामग्री की उल्लेखित संख्या में वृद्धि या कमी हेतु प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सक्षम है।
5. वर्दी एवं बुलन वर्दी क्लॉथ में नमूने प्रदाय शेड से विरिएशन नहीं आना चाहिए सभी कटपीस के सेड एक जैसे होना चाहिए साथ ही वर्दी बनवाये जाने के बाद कपड़ा सिकुड़ना अथवा रसे नहीं आने चाहिए। फैब्रिक में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जावे।
6. ड्राईवर हेतु व्हाइट P केप नपती अनुसार प्रदाय की जानी होगी।
7. सफल निविदाकर्ता को क्रय आदेश मिलने के 15 दिवस के अंदर वर्दी सामग्री प्रदाय की जानी होगी, अन्यथा विलम्ब हेतु पेनाल्टी देय होगी।
8. फर्म को निविदा में जीएसटी नम्बर एवं पैन नम्बर का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. सफल निविदाकर्ता को कोई अग्रिम देय नहीं होगा। प्रदाय सामग्री का वेरीफिकेशन पश्चात् नियमानुसार टैक्स कटोत्री पश्चात् भुगतान ई-पेमेंट से संस्था को किया जावेगा।
10. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा।



प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,  
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश  
खण्डपीठ इन्दौर